न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी:–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 103/2021 दायर दिनांक: 27.12.2021

उनवान

1. श्यामलाल पि. रामकिशन जाति ब्राहमण नि. हेमडा तहसील सुनेल
2. लालचन्द पि. रामकिशन जाति ब्राहमण नि. हेमडा तहसील सुनेल
3. अन्नपूर्णा पि. रामकिशन जाति ब्राहमण नि. हेमडा तहसील सुनेल
4. कौशल्याबाई पि. रामकिशन जाति ब्राहमण नि. हेमडा तहसील सुनेल
5. गुड्डीबाई पि. रामकिशन जाति ब्राहमण नि. हेमडा तहसील सुनेल
6. भागवंतीबाई पि. रामकिशन जाति ब्राहमण नि. हेमडा तहसील सुनेल

– वादीगण

बनाम

1. रामगोपाल पि. रामकिशन जाति ब्राहमण नि. हेमडा तहसील सुनेल
2. रोडीबाई पत्नि देवीलाल जाति गुर्जर नि. हेमडा तहसील सुनेल
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल
4. शाखा प्रबंधक बड़ौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा हेमडा

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्धान अभिभाषकगण –
वकील वादीगण – श्री हुकुमचन्द कुमावत
प्रतिवादी सं. 1 – श्री प्रेमचन्द चौधरी
प्रतिवादी सं. 2 – एकतरफा

निर्णय दिनांक : 19.08.2025

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हेमडा तहसील सुनेल में स्थित आराजी खाता सं. नया 610 पुराना [illegible] कुल खसरा [illegible] कुल रकबा 2.3776 हैक्टेयर भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 1 [illegible] है। इसी प्रकार खाता संख्या नया 824 पुराना 610 कुल किता [illegible] रकबा 0.9738 हैक्टेयर भूमि है। यह कि वाद के चरण क्रमांक 01 व उपचरण 1 में वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:34:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(2)

आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 1 रामगोपाल सहखातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मौके पर समस्त भूमि पर कब्जा वादीगण का ही चला आ रहा है। रामगोपाल प्रतिवादी नं. 1 का उक्त रकबा भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है क्योंकि रामगोपाल बाल अवस्था में ही हीरालाल व पत्नी कावेरी बाई के गोद चले गये थे उनको कावेरी बाई पत्नी हीरालाल का रकबा हिस्सा, हक प्राप्त हो गया है। यह कि वाद के चरण क्रमांक के उपचरण बी में वर्णित भूमि रकबा [illegible] वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 1 व 2 सहखातेदार राजस्व दर्ज है। इस भूमि [illegible] भी रामगोपाल का हक, हिस्सा, काश्त कब्जा नहीं है। सम्पूर्ण रकबा पर वादीगण एवं हक हिस्सा तक प्रतिवादी नं. 2 का कब्जाकाश्त है। रामगोपाल [illegible] बाल अवस्था में ही हीरालाल तथा पत्नी कावेरी बाई के गोद जाने [illegible] कास्त रामगोपाल को उनका हक अधिकार भाग प्राप्त होकर कब्जा काश्त [illegible] कि भूमि पुश्तैनी है तथा मन्दिर पूजा की भूमि रही है। इस भूमि पर काश्त [illegible] भी पुजारी द्वारा ही की जाती थी। इस कारण आराजी रामकिशन के [illegible] तथा उनके पश्चात उनके पुजारी पुत्र के पास है। रामगोपाल प्रतिवादी नं. 1 हीरालाल जी कावेरी बाई के गोद चले जाने से रामगोपाल ने [illegible] नहीं कि है न ही परिवार के अन्य सदस्य ने पुजारी का कार्य किया [illegible] कि आराजी में से रामगोपाल का नाम हटवाने की पात्रता वादीगण को [illegible] तथा उसके हिस्से भाग के सहखातेदार घोषित होने की पात्रता वादीगण [illegible] है। प्रतिवादी नं. 2 आराजी की केता है। उनको रामगोपाल का नाम [illegible] पर आराजी में हिस्सा हक प्राप्त करने का हक अधिकार नहीं है। [illegible] वाद कारण लगभग एक माह पूर्व उत्पन्न हुआ जब वादीगण ने प्रतिवादी [illegible] से कहा कि चलकर तुम अपना नाम खातेदारी में से कम करवा [illegible] तो प्रतिवादी नं. 1 ने तैयार नहीं हुआ तथा कहने लगा कि मैं [illegible] ता। तुम्हे जो करना है कोर्ट से करवा लेना वादीगण ने तहसीलदार [illegible] भी आवेदन किया उनके द्वारा भी न्यायालय में उपस्थित होकर [illegible] की सलाह दी गई यही वाद कारण रहा है। यह कि [illegible] में दर्ज आराजी ग्राम [illegible] तहसील सुनेल में स्थित होने से [illegible] को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यह कि वाद [illegible] में [illegible] ी।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:34:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मध्य प्रस्तुत हैं। यह कि प्रतिवादीगण वाद पेश का माननीय न्यायालय में प्रार्थना करते है कि

(अ) बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण घोषणा खातेदारी की डिकी जारी कर वाद के चरण कमांक 1 एवं उपखण्ड ए. बी में वर्णित आराजी में से प्रतिवादी नं. 1 का खातेदारी में से नाम कम किया जाकर उसका हक हिस्सा का समान रूप से वादीगण के सह खातेदारी में दर्ज किया जावें।

(ब) अन्य न्योचित राहत जो भी उचित एवं आवश्यक हो वादीगण को माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान जावे।

(स) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से स्वीकारात्मक जवाब पेश कर निवेदन किया कि यह कि वाद पत्र के चरण कमांक 01 एवं उपचरण ए. बी में वर्णित कथन राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सही एवं सत्य है जो प्रतिवादी नं. 01 को स्वीकार है। यह कि वाद के चरण कमांक 02 में वर्णित कथन सत्य है जो स्वीकार है। यह कि वाद के चरण कमांक 03 में वर्णित कथन सही एवं सत्य होने से स्वीकार है। यह कि वाद के चरण कमांक 04 में वर्णित कथन सही एवं सत्य होने से स्वीकार है। यह कि वाद के चरण कमांक 05 में वर्णित कथन सही एवं सत्य होने से स्वीकार है। यह कि वाद के चरण कमांक 06 में वर्णित कथन गलत होने से अस्वीकार है। यह कि वाद का चरण कमांक 07 क्षेत्राधिकार का है जो स्वीकार है। यह कि वाद का चरण कमांक 08 न्याय शुल्क एवं अवधि से सम्बंधित है जो स्वीकार है। **विशेष कथन**– यह कि वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी नं. 01 का खातेदारी से नाम कम किया जाकर समान रूप से वादीगण के सहखातेदारी में हक हिस्सा मिलाया जाता है तो मुझे किसी प्रकार से एतराज नहीं है बैंक के ऋण राशि का समस्त भुगतान में प्रतिवादी सं. 1. करूँगा। अतः जवाब पेश कर प्रार्थना है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में चाही गयी राहत के रूप में माननीय न्यायालय द्वारा वाद डिकी किया जाता है तो मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:34:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 1 सह खातेदार है।

3. प्रतिवादी सं. 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर मुताबिक आदेशिका दिनांक 02.08.2022 से प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं. 3 पैरोकार सरकार एवं प्रतिवादी सं. 4 शाखा प्रबंधक द्वारा पर्याप्त अवसर देने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया जिससे उनका जवाब अवसर बंद किया गया।

4. वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम हेमड़ा के खाता सं. 610, 824 जमाबंदी सं. 2074–77 प्रदर्श 1 व 2, जमाबंदी सं. 2029–32 की छायाप्रति, खाता सं. 486 जमाबंदी सं. 2058–61 प्रदर्श 3, खाता सं. 657 जमाबंदी सं. 2022–41 प्रदर्श 4, नामा.सं. 419, 1077, 1095 प्रदर्श 5 से 7 की नकलें एवं वादीगण के आधारकार्ड की छायाप्रतियां पेश की। मौखिक साक्ष्य में श्यामलाल पि. रामकिशन, लालचन्द पि. रामकिशन PW 1 To PW 2 के शपथ पत्र/बयान कराये।

5. अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम हेमड़ा की वादग्रस्त आराजी खाता सं0 610 के खसरा नं. 1010, 1011, 1012, 1013, 1014 किता 5 रकबा 2.3776 हैक्टेयर भूमि मृतक रामकिशन पिता भंवर लाल ब्राह्मण के वारिसान वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 की शह खातेदारी में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 9/14 दर्ज रिकॉर्ड है। इसी प्रकार ग्राम हेमड़ा के खाता सं 824 के खसरा नं. 1017, 545, 548 किता 3 रकबा 0.9738 हैक्टेयर भूमि रामकिशन के वारिसान वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 तथा प्रतिवादी क्रम 2 के शामलाती खाते में दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 9/14 दर्ज रिकॉर्ड है। अभिभाषक वादीगण द्वारा आगे तर्क किया गया कि खाता सं. 610 की सम्पूर्ण आराजी पर वादीगण का वर्षों से कब्जा कास्त चला आ रहा है। जबकि खाता सं. 824 की आरा[illegible] हिस्सा 3/4 एवं प्रतिवादी क्रम 2 हिस्सा 1/4 का कब्जा [illegible] है। उक्त आराजीयात पर कभी भी प्रतिवादी क्रम 1 का क[illegible] है। प्रतिवादी सं. 1 को बचपन मे ही ग्राम [illegible] के हिरा[illegible] द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:34:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 1 सह खातेदार है।

Scanned with OKEN Scanner

रामकिशन से गोद ले लिया गया था और दत्तक पुत्र के रूप पालन–पोषण किया गया। वर्तमान में हिरालाल व कावेरी बाई के सम्पूर्ण भूमि दत्तक पूत्र के रूप में प्रतिवादी क्रम 1 को प्राप्त हो चुकी है। अतः गोद गये प्रतिवादी सं. 1 का मृतक रामकिशन की भूमि में कोई हक व अधिकार शेष नही रह जाता है। अभिभाषक वादीगण द्वारा आगे तर्क किया गया कि प्रतिवादी सं. 1 रामगोपाल का गोद जाने के बाद अपने जैविक पिता रामकिशन कि सम्पत्ती में कोई हक व अधिकार शेष नही होने के बावजूद राजस्व कार्मिकों ने रामकिशन का फोती इंत्काल सं 1066 दर्ज करते समय नियम विरूद्ध तरिके से रामगोपाल का नाम दर्ज कर दिया गया। अतः वादग्रस्त आराजी से रामगोपाल का नाम हटाया जाकर उनके हिस्से पर वादीगण का नाम दर्ज किया जावे। अभिभाषक वादीगण द्वारा पुनः तर्क किया गया कि वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण सं. 1 का नाम हटाने पर प्रतिवादीं 1 को कोई आपत्ती नहीं है और इसलिए प्रतिवादीगण सं. 1 ने वादपत्र में चाहे गये अनुतोषों को स्वीकार कर इकवाली जवाब न्यायालय में पेश किया है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जावे।

6. अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 ने बहस के दौरान अभिभाषक वादी की बहस को स्वीकार करते हुए कथन किया कि ग्रमा हेमड़ा की वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी सं. 1 का गोद चले जाने से कोई हक व अधिकार नहीं है और ना ही वादग्रस्त आराजी पर कभी कब्जा कास्त रहा है। बैंक के ऋण राशि का समस्त भुगतान भी प्रतिवादी सं0 1 करने को तैयार है। अतः वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी क्रम 1 का नाम हटाकर वादीगण के खाते दर्ज करने पर कोई आपत्ती नहीं है।

7. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम हेमड़ा की जमाबंदी संवत् 2074–77 प्रदर्श 1 व 2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खाता सं0 610 के खसरा नं. 1010, 1011, 1012, 1013, 1014 किता 5 रकबा 2.3776 हैक्टेयर भूमि मृतक र[illegible] वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 की शाह खातेदारी में दर्ज है [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 1 शाह खातेदार है।

–निरन्तर पेज नं 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:34:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

9/14 दर्ज रिकॉर्ड है। इसी प्रकार ग्राम हेमड़ा के खाता सं 824 के खसरा नं. 1017, 545, 548 किता 3 रकबा 0.9738 हैक्टेयर भूमि रामकिशन के वारिसान वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 तथा प्रतिवादी क्रम 2 के शामलाती खाते में दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 9/14 दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य यह तथ्य निर्विवादित है कि मृतक खातेदार रामकिशन पुत्र भंवर लाल जाति ब्राह्मण के तीन पुत्र वादी क्रम 1, 2 व प्रतिवादी क्रम 1 एवं 4 पुत्रीयां वादी क्रम 3 से 6 है। वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 इस तथ्य पर भी सहमत है कि रामकिशन के पुत्र रामगोपाल को हिरालाल व कावेरी बाई बेवा हिरालाल द्वारा बचपन में ही गोद ले लिया गया था और दत्तक पुत्र के रूप में रामगोपाल का पालन–पोषण किया था। लेकिन पत्रावली पर न तो कोई गोदनामा पेश किया गया है, न ही गोद लेने वैधता के लिए गिविंग और टेकिंग सेरेमनी का साक्ष्य पेश किया है और न ही समाज की रिश्ते की स्वीकृति का कोई ऐसा साक्ष्य पेश किया गया हो जिससे यह साबित होता है कि रामगोपाल को हिरालाल व कावेरी बाई द्वारा गोद लिया गया था। हिन्दु दत्तक ग्रहण एवं मेन्टेनेन्स अधिनियम–1956 की धारा–5 से 11 के अनुसार किसी व्यक्ति को गोद लेने के लिए गोद लेने वाले माता–पिता एवं गोद देने वाले जैविक माता–पिता की लिखित सहमति होना आवश्यक है। साथ में ही गोद लेने वाले माता–पिता की गोद लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। गोद लिये जाने वाले बच्चे एवं गोद लेने वाले माता–पिता की आयु भी अधिनियम के अनुसार होनी चाहिए। वादीगण द्वारा पेश ग्राम हेमड़ा की जमाबंदी सं0 2058–61 प्रदर्श 3 में खातेदार के रूप में रामगोपाल पिता रामकिशन दर्ज है। यदि रामगोपाल को हिरालाल द्वारा गोद लिया था तो पिता के नाम में रामकिशन के स्थान पर हिरालाल दर्ज होना चाहिए था। इसी प्रकार भू–प्रबन्ध विभाग की जमाबंदी सं0 2022–41 एवं जमाबंदी सं0 2032–35 के अवलोकन से जाहिर है कि हिरालाल के फोत होने [illegible] विरासत [illegible] कारण केवल बेवा कावेरी बाई के पक्ष में दर्ज किया गया [illegible] रामगोपाल को गोद लिया गया होता तो हिरालाल का फोती [illegible] कावेरी बाई व रामगोपाल दोनो के पक्ष में निर्णित होना चाहिए था। वादीगण द्वारा न तो हिरालाल का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:34:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

(11)

फोती नामान्तरण पेश किया गया है और ना ही कावेरी बाई का नामान्तरण पेश किया गया है । अतः उपरोक्त प्रतिवादी क्रम 1 रामगोपाल का हिरालाल व कावेरी द्वारा गोद लिया जाना साबित नही होता है।

8. वादीगण द्वारा पेश ग्राम हेमड़ा के नामान्तरण सं. 1066 दिनांक 25.07.2004 के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम पंचायत द्वारा मृतक रामकिशन के वारिसान के रूप में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 को मानकर नामान्तरण निर्णित किया था। ग्राम पंचायत के कोरम द्वारा भी प्रतिवादी 1 रामगोपाल के गोद लिये जाने का कोई भी अंकन नही किया गया है। वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा कोई भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे मृतक हिरालाल व कावेरी की भूमि दत्तक पुत्र के रूप में प्रतिवादी सं0 1 के खाते दर्ज हुई हो। अतः उपरोक्त प्रतिवादी क्रम 1 रामगोपाल का हिरालाल व कावेरी द्वारा गोद लिया जाना साबित नही होता है।

9. यदि प्रतिवादी क्रम 1 वादग्रस्त आराजी में अपना हिस्सा नही लेना चाहता है या अपना हिस्सा वादीगण को देना चाहता है तो वह धारा 41, 42 व 43 राजस्थान काश्तकार अधिनियम–1955 के प्रावधानों के अधिन संबंधित उपपंजियक कार्यालय में जाकर वादीगण के पक्ष में विक्रय पत्र, दानपत्र, हक त्यागपत्र आदि द्वारा खातेदारी अधिकारों का अन्तरण करने के लिए स्वतंत्र है। वादीगण व प्रतिवादीगण इस तथ्य पर सहमत है कि वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से पर लम्बे समय से वादीगण का ही कब्जा काश्त है लेकिन प्रतिकुल कब्जे के आधार पर वादीगण के पक्ष में खातेदारी अधिकारों की घोषण किया जाने का कोई प्रावधान नहीं है। आरबीजे 2011 (18) पेज 388, 2011(2) आरआरटी 721, आरबीजे 2020 पेज नं 8 आदि मामलों में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की पूर्ण पीठ ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया हैं कि प्रतिकूल कब्जे आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषण नही की जा सकती है। वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 की आपसी सहमति [illegible] पर धारा 88 आरटी एक्ट के अधीन वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी [illegible] के स्थान पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:34:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी नं 1 ...

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किये जाने पर राज्य सरकार को स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क का नुकसान कारित होगा। अतः स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क जमा कराने पर ही प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाना न्यायोचित होगा।

10. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं उभयपक्ष की सहमति के आधार पर ग्राम हेमड़ा की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 610 किता 5 रकबा 2.3776 हैक्टेयर एवं खाता 824 किता 3 रकबा 0.9738 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित करने वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 आर.टी.एक्ट न्यायहित में आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं उभयपक्ष की सहमति के आधार पर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 आर.टी.एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम हेमड़ा की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 610 किता 5 रकबा 2.3776 हैक्टेयर एवं खाता 824 किता 3 रकबा 0.9738 हैक्टेयर भूमि पर नियमानुसार स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क उपपंजियक कार्यालय में जमा कराये जाने पर प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 19.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/8/25

(दिनेश [illegible] मीणा,आरएएस)
उपखण्ड [illegible]
जिला [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:34:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner